

केंद्रीय कर वितरण में अंतरराज्यीय भिन्नता

प्रलिस के लयि:

15वाँ वतित आयोग, केंद्रीय कर वतिरण, क्षैतजि समानता, संवधिन का अनुच्छेद 280

मेन्स के लयि:

राज्यों के बीच कर वतिरण, 15वाँ वतित आयोग की सफिरशैं

चर्चा में क्यों?


आलोचकों का तर्क है कि **15वाँ वतित आयोग** का कर वतिरण फॉर्मूला/सूत्र कुछ राज्यों के पक्ष में है, जसके परणामस्वरूपव्यापक अंतरराज्यीय भिन्नता की स्थति दिखी जाती है।

तमलिनाडु द्वारा केंद्र को दयि गए प्रत्येक एक रुपए हेतु केवल 29 पैसे वापस मलिते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश को 2.73 रुपए और बहिर को 7.06 रुपए वापस मलिते हैं।

राज्यों के बीच करों के वतिरण की वधि:

- **परचिय:**
 - केंद्र राज्यों से कर एकत्र करता है और उन्हें वतित आयोग (XVFC) के फारमूले के आधार पर वतिरति करता है।
- **XVFC फॉर्मूला:**
 - XVFC फॉर्मूला प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं (जनसंख्या, क्षेत्र, वन एवं पारस्थितिकी), इक्वटी (प्रति वयक्ति आय अंतर) एवं प्रदर्शन (स्वयं का कर राजस्व और कम प्रजनन दर) पर आधारति है।
- **भार:**
 - आवश्यकताओं को 40%, इक्वटी को 45% और प्रदर्शन को 15% वेटेज दयि जाता है।
 - XVFC ने प्रजनन स्तर को कम करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करने के लयि प्रजनन दर घटक की शुरुआत की कति इक्वटी और आवश्यकताओं की तुलना में इसका भार कम है।
- **तर्क:**
 - आलोचकों का तर्क है कि यह फॉर्मूला कुछ उत्तरी राज्यों के पक्ष में है, क्योंकि इस फॉर्मूले में जनसंख्या को अधिक महत्त्व दयि जाता है।
 - वतित आयोगों में दक्षिणी राज्यों की हसिसेदारी में लगातार गरिवट आई है।
 - कुछ लोगों का तर्क है कि स्थानांतरण राज्य को सेवाओं के तुलनीय स्तर प्रदान करने और क्षैतजि इक्वटी सुनिश्चति करने में सक्षम बनाता है।
 - हालाँकि अन्य का तर्क है कि सूत्र का कसिी राज्य की दक्षता और प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहयि।

The amount in ₹ each State got for every rupee they contributed to Central taxes in 2021-22



//

15वाँ वित्त आयोग:

- परचय:
 - वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों के मध्य संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कर से प्राप्त आय के वितरण के लिये विधिवि सूत्र निर्धारित करता है।
- संवैधानिकता:
 - संवैधानिक अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के लिये प्रत्येक पाँच वर्ष या उससे पहले वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है।
- 15वाँ वित्त आयोग:
 - 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2017 में एन.के. सहि की अध्यक्षता में किया गया था।
 - इसकी सफारिशें वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिये मान्य होंगी।
 - सरकार ने वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाली पाँच वर्ष की अवधि के लिये करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 41% तक बनाए रखने हेतु 15वें वित्त आयोग की सफारिश को स्वीकार कर लिया।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न. भारत के 14वें वित्त आयोग की संसुततियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति में सुधार करने में कैसे सक्षम किया है? (2021)

स्रोत: द हिंदू

